



2026/AHC-LKO:10299-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी संख्या - 1351 सन 2026

सरैया नाविक एवं मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा
अध्यक्ष श्रवण कुमार

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व लखनऊ
एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	राजीव कुमार श्रीवास्तव
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. सुनवाई हुई।
2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य राहत(ओं) की मांग की है:-

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादियों को गाटा संख्या 141/4.546 हेक्टेयर और 142/1.699 हेक्टेयर वाले तालाब ग्राम- बैसादा, तहसील- फतेहपुर, जिला- बाराबंकी के आवंटन के लिए चल रही नीलामी की कार्यवाही पूरी करने का आदेश जारी करें।"
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि बाराबंकी जिले के फतेहपुर तहसील के बैसादा गांव में स्थित गाटा संख्या 141 और 142 वाले तालाबों के मत्स्य पालन अधिकारों की नीलामी के लिए बार-बार विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, लेकिन नीलामी को स्थगित या रद्द किया जा रहा है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. याचिकाकर्ता संबंधित उप-जिलाधिकारी से संपर्क करें, जो इस मामले की जांच करेंगे और कानून के अनुसार शीघ्रता से आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
5. याचिका का निस्तारण उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 10, 2026

प्रवीण

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।